



प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सह योजना और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष

प्रलियुस के लललः

प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सह-योजना, [प्रधानमंत्री मत्स्य सडडडड](#), [मत्स्य डडलन कषेतर](#), [कृषि करेडल कडरड](#), [मत्स्य डडलन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष](#) ।

डेनुस के लललः

डरत डें मत्स्य डडलन कषेतर, डरत डें मत्स्य डडलन कषेतर डें सुधर के ललल उडरर डर कडड

[सुररतः डी.रडी.डी.](#)

कुरकड डें कुररुडु?

डरल डी डें केंडरीय डंतरडडडल ने "प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सह-योजना (Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana- PM-MKSSY) को डंजुरी डे डी डै और [मत्स्य डडलन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष \(Fisheries Infrastructure Development Fund - FIDF\)](#) को 2025-26 तक अतररकलत **3 वरुषुडु के ललल वसुतर** डुरडरन कुरर डै ।

- डसके वसुतर कड उडडेशुड मत्स्य डडलन कषेतर के अवसंरचनातडडक वकलस की जुररुतुडु को डुरर कुररनर, नररतर वकलस और वृडुध सुनशुकलत कुररनर डै ।

प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सह-योजना कुरर डै?

डुरकलडः

- डड-डकसुस, मत्स्य डडलन कषेतर को औडकुररक डनरने और वतलत वरुष 2023-24 से वतलतलड वरुष 2026-27 तक सडुी ररकुरुडु/केंडर शरसुतल डुरडेशुडु डें अडले कुरर वरुषुडु की अवधल डें 6,000 कुररुडु रुडड से अधकल के नवलश के सरथ मत्स्य डडलन सुकषुडु एवं लघु उडुडडुडु कड सडरुथन कुररने के ललल [प्रधानमंत्री मत्स्य सडडड \(Pradhan Mantri Matsya Sampada- PMMSY\)](#) के तहत एक केंडरीय कषेतर की उडड-डडरनर डै ।

उडडेशुडः

- ररषुडरीय मत्स्य डडलन कषेतर डडलतल डुडलडडरुडु (Fisheries Sector Digital Platform- NFDP) के तहत डडुडररुडु, मत्स्य कृषलरुडुडु और सडरररक शुरडडकुडु के सुव-डंजुकुररन के डरधुडड से असंगठलतल [मत्स्य डडलन कषेतर](#) कड कुररडकल औडकुररकलकुररन ।
- मत्स्य डडलन कषेतर के सुकषुडुडु और लघु उडुडडुडु के ललल **संसुथरगत वतलतडुडुषण** तक डहुडुडु को सुवधलजनक डनरनर ।
- जलीय कृषल डीडर** खरीडने के ललल लरडररुथलरुडुडु को **एकडुशुत डुररुतुसरहन** डुरडरन कुररनर ।
- मत्स्य, मत्सुडुडुतडडड और नुकररुडुडु के रखरखरव के ललल सुरकषर एवं गुणवतुतर अरशुवलसन डुरणरलरुडुडु को अडनरने तथर उनके वसुतर को डुररुतुसरहलत कुररनर ।

लकषुतल लरडररुथलः

- डडुडररुडु, [मत्स्य \(जलकृषल\) कृषलरुडुडु](#), मत्स्य शुरडडकुडु, वकलरुरेतर, और मत्स्य डडलन डुलुडु शुरुखलर डें शरडलल अनुडु हतलधररक ।
- सुकषुडुडु व लघु उडुडडुडु सुवलडतलव डुररुडु, सरडुडेवलरल डुररुडु, सडकररल सडतलरुडुडु, संध, सुडररुडुअड, **मत्स्य डडलन डुररुडुडु (कृषक उतुडडडक संगठन)** और मत्स्य डडलन एवं जलीय कृषल डें लगे डुरे डै ।
 - डडडुडु डें [कृषलरुडुडु उतुडडडक संगठन \(Farmers Producer Organizations - FPOs\)](#) डी शरडलल डै ।
- कुडुडु अनुडु लरडररुथल जनलडुडु **मत्स्य डडलन वडुडुडु** डुवलर लकषुतल लरडररुथलरुडुडु के रूड डें शरडलल कुरर डर सकतर डै ।

कुरररुडुडुडु वरुणनीतलः

- घकक 1-A: मत्स्य डडलन कषेतर कड औडकुररकलकुररनः**
 - हतलधररकुडु की एक ररषुडरीय रकसुतलरुडु डनरकर असंगठलतल मत्स्य डडलन कषेतर को औडकुररक डनरने के ललल NFDP की सुथरनर

- की जाएगी।
- **NFDP के कार्य:** प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता में सुधार, परियोजना तैयारी सहायता, और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मज़बूत करना।
- **घटक 1-B: जलकृषि बीमा को अपनाने की सुविधा:**
 - जलीय कृषि के लिये बीमा उत्पादों की स्थापना, कम से कम 1 लाख हेक्टेयर को कवर करना, **प्रतकिसान अधिकतम 1,00,000 रुपए का प्रोत्साहन** (प्रोत्साहन के लिये कृषि क्षेत्र न्यूनतम 4 हेक्टेयर होना चाहिये) और गहन जलीय कृषि विधियों के लिये 40% प्रोत्साहन।
 - **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)** और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन मिलाता है।
- **घटक 2: मत्स्य पालन क्षेत्र मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार के लिये सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना:**
 - प्रदर्शन अनुदान के प्रावधान के तहत मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार करना। **प्रदर्शन अनुदान के लिये पैमाना और मानदंड:**
 - **अति लघु उद्योग:**
 - सामान्य श्रेणी: अनुदान कुल नविश का 25% या 35 लाख रुपए तक सीमित है।
 - SC, ST, महिला स्वामित्व: अनुदान कुल नविश का 35% या 45 लाख रुपए तक सीमित है।
 - ग्राम स्तरीय संगठन और संघ: अनुदान कुल नविश का 35% या 200 लाख रुपए (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिये।
- **घटक 3: मछली और मत्स्य उत्पादों के लिये सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली:**
 - सुरक्षा और गुणवत्ता, बाज़ार वसितार और विशेषकर महिलाओं के लिये **रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने हेतु** मत्स्य पालन उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
 - **अनुदान:**
 - सूक्ष्म उद्यम: मूल्य शृंखला दक्षताओं के समान।
 - लघु उद्यम: कुल नविश का 25% या 75 लाख रुपए (सामान्य श्रेणी), कुल नविश का 35% या 100 लाख रुपए (SC/ST/महिला-स्वामित्व वाली)।
 - ग्राम-स्तरीय संगठन और महासंघ: मूल्य शृंखला दक्षता के समान।
- **घटक 4: परियोजना प्रबंधन, नगरानी और रपिर्टिंग:**
 - परियोजना गतिविधियों के प्रबंधन, कार्यान्वयन, नगरानी और मूल्यांकन के लिये **परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PMU)** की स्थापना।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र:

- वर्ष 2022-23 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन **174 लाख टन** रहा। भारत, **वर्ष का तीसरा सबसे** बड़ा मत्स्य उत्पादक है, जो कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन में **8% का योगदान** देता है।
- 10 वर्षों की अवधि में (2013-2023-24) के दौरान:
 - मत्स्य उत्पादन 79.66 लाख टन बढ़ा।
 - इस अवधि के दौरान तटीय जलीय कृषि में मज़बूत वृद्धि देखी गई।
 - **झींगा का** उत्पादन 270% बढ़ा।
 - झींगा नरियात 123% की वृद्धि परदर्शति करते हुए दोगुने से भी अधिक हो गया।
 - **~63 लाख मछुआरों और मछली किसानों के लिये** रोज़गार और आजीविका के अवसर उत्पन्न हुए।
- **समूह दुर्घटना बीमा योजना (GAIS)** के तहत प्रति मछुआरा कवरेज 1.00 लाख रुपए से बढ़कर 5.00 लाख रुपए हो गया, जिससे कुल मिलाकर 267.76 लाख मछुआरों को लाभ हुआ।
 - वर्ष 2019 में **मत्स्य पालन के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** के वसितार के साथ 1.8 लाख कार्ड जारी किये गए।
- महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, इस क्षेत्र में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं **जिनमें इसकी अनौपचारिक प्रकृति, फसल जोखिम शमन की कमी, कार्य-आधारित पहचान प्राप्त न होना, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुँच न होना** और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा बेची जाने वाली मछली की उप-इष्टतम सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

मत्स्य पालन अवसंरचना विकास नधि (FIDF) क्या है?

- **परिचय:**
 - इसकी स्थापना मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय) द्वारा की गई है। **FIDF PMMSY तथा KCC जैसी योजनाओं के नधि पूरक** के रूप में कार्य करता है।
 - FIDF का उद्देश्य समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है।
- **कार्यान्वयन तंत्र:**
 - **रियायती वित्त:** FIDF पात्र संस्थाओं (EE) को नोडल ऋण संस्थाओं (NLE) अर्थात् **नाबारड, राष्ट्रीय सहकारी विकास नगिम (NCDC)** और सभी **अनुसूचित बैंकों** के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करता है।
 - FIDF के तहत पात्र संस्थाओं (EE) में राज्य सरकारें, सहकारी समितियाँ, मत्स्य पालन सहकारी संघ, गैर सरकारी संगठन, महिला उद्यमी, नज्जि कंपनियाँ इत्यादि शामिल हैं।
 - **ब्याज अनुदान/सहायता:**

- भारत सरकार प्रतिवर्ष 3% तक की ब्याज पर छूट प्रदान करती है।
- पुनर्भुगतान/चुकोती की अवधि 12 वर्ष तक होती है जिसमें NLE द्वारा 5% प्रतिवर्ष की न्यूनतम ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिये 2 वर्ष का अधस्थगन भी शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. अवैध शिकार के अतिरिक्त गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं? (2014)

1. नदियों पर बाँध एवं बैराज का निर्माण।
2. नदियों में मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि।
3. गलती से मछली पकड़ने के जाल में फँस जाना।
4. नदियों के आसपास के क्षेत्रों में फसल-खेतों में सथैटिक उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत नमिनलखिति में से कनि उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

1. कृषिपरिपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिये
2. कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मनी ट्रकों के क्रय के लिये
3. कृषक परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिये
4. फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिये
5. परिवार के घर निर्माण और गाँव में शीतगार सुवधि की स्थापना के लिये

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. 'नीली क्रांति' को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये। (2018)